न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 09/2021

प्रार्थिया	बनाम	अप्रार्थी
1. कमलजीत कौर पत्नी राजविन्द्र सिंह पुत्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू गुरूसर तहसील श्रीकरणपुर।		1. अमरीक सिंह पुत्र धन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू गुरूसर तहसील श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:-07.09.2021

उपस्थित: 1.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता प्रार्थिया

2.श्री दलजीत सिंह बराड अप्रार्थी संख्या 1

--निर्णय-- **दिनांक :20.04.2022**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 2 डब्ल्यू गुरूसर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 2 के मुरब्बा नम्बर 28, 46, 48, 50, 51, 62/17 की कुल 16.905 हेक्टैयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से प्रार्थिया के नाम 2.820 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित भूमि में सहखातेदारों ने अपने-अपने हिस्सा की भूमि पर कृषि करने की सहूलियत के मद्देनजर भूमि का आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है। जिसके अनुसार मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 3 ता 8, 12 ता 15 सालम-सालम, किला नम्बर 9 के 7 बिस्वा, तथा किला नम्बर 16 ता 19 प्रत्येक करीब 4-4 बिस्वा कुल 11 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रार्थिया के हिस्सा में आई हुई है, जिस पर प्रार्थिया का कब्जा काश्त है। प्रार्थिया की उक्त कब्जा काश्त भूमि में आने-जाने के लिए कोई मंजूरशुदा रास्ता नहीं है। इसी चक के खाता संख्या 40 के मुरब्बा नम्बर 14, 25, 32, 33, 41, 42, 43, 45, 62/6, 62/10 की कुल 40.371 हेक्टैयर नहरी मय खाला भूमि में अप्रार्थी अमरीक सिंह के नाम 2.522 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता संख्या 40 के सहखातेदारों ने भी कृषि करने की सहूलियत को देखते हुए अपने-अपने हिस्सानुसार भूमि का विभाजन कर रखा है। जिसके अनुसार मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 सालम-सालम भूमि अप्रार्थी के हिस्सा में आई हुई है और इस भूमि पर कई वर्षो से अप्रार्थी का कब्जा काश्त है। मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1 ता 5 के साथ-साथ चिपता मंजूरशुदा रास्ता है, जो मौके पर चल रहा है। प्रार्थिया इसी रास्ता के जरिए मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में से होकर अपनी खातेदारी भूमि मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5 में प्रवेश करती है। इसी रास्ता से अपनी कृषि भूमि में प्रवेश कर कृषि कार्य करती है। प्रार्थिया उक्त रास्ता को मंजूर करवाना चाहती है। प्रार्थिया उक्त प्रस्तावित रास्ता के बदले में अप्रार्थी को हर किस्म का उचित प्रतिकर देने के लिए तैयार है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी से कई मर्तबा कहा कि प्रार्थिया को अपनी उक्त वर्णित कब्जाशुदा कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 46 में आने-जाने के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

लिए मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में 2-2 बिस्वा रास्ता मंजूर करवा देवे और उस रास्ता के बदले में प्रार्थिया अप्रार्थी को हर किस्म का प्रतिकर देने के लिए तैयार है तो अप्रार्थी कहने लगे कि कोई बात नहीं आप इस रास्ता का इस्तेमाल करते रहो जब समय लगेगा तो रास्ता मंजूर करवा देगें। परन्तु आपसी विवाद होने पर अप्रार्थी ने प्रार्थिया को चल रहे प्रस्तावित रास्ता का इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया है। प्रार्थिया को अपनी कब्जा शुदा खातेदारी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 46 में आने-जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता मिलना संभव नहीं है और यही प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थिया के लिए अत्यधिक सुविधाजनक रहेगा। इसलिए प्रस्तावित रास्ता को मंजूर किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है और पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीए पेश कर अर्ज है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 2 डब्ल्यू गुरूसर के मुरब्बा नम्बर 46 में आने जाने के लिए चक 2 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में से 2-2 बिस्वा रास्ता मंजूर किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड उपस्थित आए। अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई खारिज किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश नहीं करने पर बन्द किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा अपने पत्रांक 931 दिनांक 23.12.2021 के साथ मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक धनूर, फर्द मौका मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हलका द्वारा चक 2 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 46, 40, 41 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया गया कि प्रार्थिया द्वारा मुरब्बा नम्बर 46 तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में चल रहे रास्ता का उपयोग किया जा रहा है। मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 24 व 25 में से नहर निकली हुई है। मौके पर नहर के साथ-साथ भी रास्ता चल रहा है। अति आवश्यक होने पर इस रास्ते का भी उपयोग किया जा सकता है। प्रार्थिया द्वारा मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में से रास्ता चाहा गया है। वह रास्ता अव्यावहारिक है क्योंकि कई वर्षो से मुरब्बा नम्बर 40 में से रास्ता चलता आ रहा है रास्ता का उपयोग प्रार्थिया के अलावा अन्य साथ लगते मुरब्बों के खातेदार भी कर रहे है। प्रार्थिया द्वारा चाहा गया रास्ता केवल सुविधा के अनुसार मांग की गई है। मौके पर प्रार्थी के अप्रार्थी खातेदार की जोत में से होकर पहुंचने के अलावा अन्य दो विकल्प उपलब्ध है जो कि चाहे गए रास्ते से निकटतम दूरी पर है। अन्य विकल्प में मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 24 व 25 मे से नहर के साथ-साथ लगते रास्ते से होकर अपने मुरब्बा 46 के किला नम्बर 16 में पहुचा जा सकता है। इसके अलावा मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में से चले रहे घरेलू रास्ता में से होकर मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1 में पहुचा जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

[illegible]

हमने विद्वान अधिवक्तागण, उपस्थितगण की बहस सुनकर व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र, पेश तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक, पेश पटवारी हल्का की संयुक्त जाँच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं प्रस्तावित रास्ते नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू-अभिलेख निरीक्षक, पेश पटवारी हल्का की संयुक्त जाँच रिपोर्ट एवं फर्द एवं राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया चक 2 डब्लू गुलसर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 2 के मुरब्बा नम्बर 28, 46, 50, 51, 62/17 की कुल 16.905 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से प्रार्थिया 2.820 हैक्टेयर भूमि की अभिलिखित खातेदार है तथा मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16,25 से अपनी जोत मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5 तक पहुँचने के लिए रास्ते की मांग की गई है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार प्रार्थिया द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक 2 रास्ते मौजूद है, जो प्रस्तावित रास्ते से निकटतम दूरी पर है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थिया का अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-ःआदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कानूनी साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि मु.न. 40 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में से चल रहे घरेलू रास्ता में मौके पर कोई अवरोध हो तो उसे हटाया जावे। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

01501226005

ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

रीडर/2022/214

दिनांक :–20.04.2022

(राजस्व),

पुर।

विषयः– प्रकरण संख्या 09/2021 अनवान कमलजीत कौर बनाम अमरीक सिंह अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 20.04.2022 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण मे पारित य दिनांक 20.04.2022 के अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क जस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 भली- भांति साबित नहीं होने से स्वीकार/खारिज किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है के चक 2 डब्ल्यू, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू(गुरूसर), भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर के मु.न. 40 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक के पूर्व दिशा में से चल रहे घरेलू रास्ता में मौके पर कोई अवरोध हो तो उसे हटाया जावे।

{**सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)